राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/भीलवाड़ा 275(1)/2019–20/5963-72 दिनांकः– 27.02.20

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
भीलवाड़ा।

विषयः– सामुदायिक भवन निमार्ण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 44411–27 दिनांक 05.12.2019 द्वारा भीलवाडा जिले में भील समाज सामुदायिक भवन निर्माण राणा पुंजा स्मृति रवा उल्लाई की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रूपये 20.00 लाख की जारी की गई। जिला परिषद, भीलवाड़ा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नाकिंत तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	ग्राम व ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	अनु. लागत	तकनीकी स्वीकृति क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	भील समाज सामुदायिक भवन निर्माण राणा पुंजा स्मृति रवा उल्लाई	उल्लाई	सहाडा	20.00	EEZP/11/2019-20 dated 18-12-2019	20.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं–104/2019–20 दिनांक 10.02.2020 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रू. 100.00 लाख मे से होगा।

शर्ते :–

1. स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. **उपरोक्त स्वीकृत कार्य का निर्विवाद भूमि का पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् राशि हस्तांतरित करे।**
3. **प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।** निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
4. कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जावें।**
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. स्वीकृत राशि पंचायत समिति को हस्तान्तरित की जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।

– Sd –

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S
आयुक्त

Eng. commu. hall FS LETTER 4 2019-20

कृ.पृ.उ.

एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/भीलवाड़ा 275(1)/2019–20/ दिनांकः–

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (भाडा) जिला परिषद, भीलवाड़ा।
5. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्र्तगत शासन की स्वीकृति सं– 104/2019–20 दिनांक 10.02.2020 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रू. 100.00 लाख मे से राशि रू. 20.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को हस्तांतरित करावे।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
Com,Website www.tad.rajasthan.gov.in ई–मेल : comm.tad @gmail

Eng. commu. hall FS LETTER 4 2019-20